# न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

## रिमाण्ड प्रकरण सं0 06/2016

1. श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व. शान्तिलाल बिलाला जाति जैन
2. श्री मोहनलाल जैन पुत्र स्व. शान्तिलाल बिलाला जाति जैन
3. श्री राजकुमार जैन पुत्र स्व. शान्तिलाल बिलाला जाति जैन
   समस्त निवासी 14/227 सरावगी मोहल्ला, तहसील व जिला अजमेर।
4. श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र स्व. शान्तिलाल बिलाला जाति जैन हाल निवासी एल-30, कैलाश कॉलोनी, नई-दिल्ली।

......अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बद्रीनारायण चौपडा पुत्र श्री जगन्नाथ चौपडा जाति जाट निवासी 9 ए, कैलाशपुरी न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर कॉलोनी, जयपुर।
2. श्रीमती जीवणी पत्नी स्व. सूरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घूघरा।
3. ग्रा0प0 घूघरा जरिये सरपंच ग्रा0प0 घूघरा तहसील व जिला अजमेर।

......रेस्पोडेन्ट

## रिमाण्ड प्रकरण सं0 07/2016

1. श्री यशवन्त कुमार जैन पुत्र सागरमल जैन
   निवासी रावण की बगीची रोड, अजमेर।

......अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बद्रीनारायण चौपडा पुत्र श्री जगन्नाथ चौपडा जाति जाट निवासी 9 ए, कैलाशपुरी न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर कॉलोनी, जयपुर।
2. श्रीमती जीवणी पत्नी स्व. सूरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घूघरा।
3. ग्रा0प0 घूघरा जरिये सरपंच ग्रा0प0 घूघरा तहसील व जिला अजमेर।

......रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध बनाराजगा नामान्तरकरण ग्राम पंचायत जरिये सरपंच घूघरा नामान्तरकरण संख्या 1486 दिनांक 20.11.2006

उपस्थित:–

1. श्री नोरतमल जैन अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री .................... अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

दिनांक:–

उपरोक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दू एक समान होने से एक ही आदेश से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। आदेश की प्रति पृथक–पृथक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

1. ग्राम घूघरा के वर्किंग जमाबंदी के ख0न0 1389, 1390, 1391, 1392 के मूल खातेदार सूरजमल /धन्ना गुर्जर ने उक्त ख0न0 1391, 1392 की भूमि दिनांक 10.01.1994 को जरिये पंजिबद्ध बैनामा संजीव अग्रवाल/मुन्नालाल अग्रवाल निवासी पीलीकोठी केसरगंज, अजमेर को तथा ख0न0 1389, 1390 की भूमि कृष्ण कुमार अग्रवाल/राधारमन अग्रवाल निवासी पीलीकोठी केसरगंज, अजमेर को दिनांक 08.12.94 को बेचान कर दी तथा भूमि का कब्जा सम्भला दिया। इस प्रकार उक्त ख0न0 के मूल खातेदार सूरजमल/धन्ना गुर्जर के हक खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके थे।
2. उसके बाद ख0न0 1391, 1392 की सम्पूर्ण भूमि को संजीव अग्रवाल/मुन्नालाल अग्रवाल ने अपीलान्ट (विमला देवी) के पति श्री शान्तिलाल बिलाला पुत्र रतनलाल बिलाला निवासी सरावगी मौहल्ला, अजमेर को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया।
3. श्री शान्तिलाल बिलाला की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान अपीलान्ट संख्या 1 से 4 हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत घूघरा ने ख0न0 1389, 1390, 1391, 1392 के मूल खातेदार सूरजमल पुत्र धन्ना गुर्जर की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 29.01.1996 के द्वारा मु. जीवणी बेवा सूरजमल व महादेव पुत्र सूरजमल के नाम विरासत खोल दी गई। उसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि दिनांक 12.10.2006 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में बेचान कर दिया गया, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 2 को उक्त भूमि के पूर्व में किये गये बेचान की पूर्ण जानकारी थी उसके बावजूद फर्जी बेचान कर दिया गया। जिसके लिये अपीलाधीन नामा0 संख्या 1486 दिनांक 20.11.2006 पारित किया गया।
4. उक्त स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 1486 दिनांक 20.11.2006 को स्वीकृत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम भूमि का हस्तान्तरण किये जाने से रूष्ट होकर अपीलान्ट ने मा0 न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में एक अपील संख्या 07/2007 उनवान विमलादेवी बनाम बद्रीनारायण व अन्य एवं 08/2007 उनवान यशवंत बनाम बद्रीनारायण व अन्य प्रस्तुत की।

5. इस पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर मा0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने प्रकरण संख्या 07/2007 एवं 08/2007 में दिनांक 24.06.2016 को निर्णय पारित कर मा0 न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के प्रकरण संख्या 77/2007 एवं 83/2007 में दिनांक 09.09.2009 को निर्णय पारित कर ग्राम घूघरा के नामा0 संख्या 284 दिनांक 29.01.1996 को निरस्त कर दिये जाने से अपीलाधीन नामा संख्या 1486 दिनांक 20.11.2006 स्वमेव निरस्त होने से पत्रावली तहसीलदार, अजमेर को रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिया कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

6. मा0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 07/2007 एवं 08/2007 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 की पालना में रिमाण्ड प्रकरण संख्या 06/2016 व 07/2016 दर्ज किये गये एवं सम्बन्धित पक्षकारान को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

7. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित होते रहे। रेस्पोडेंट की ओर से कोई भी पक्षकार /अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम घूघरा के वर्किंग जमाबंदी के ख0न0 1389, 1390, 1391, 1392 के सम्बन्ध में इस न्यायालय में विचाराधीन रिमाण्ड प्रकरण संख्या रिमाण्ड प्रकरण संख्या 20/2009 उनवान विमला देवी व अन्य बनाम महादेव व अन्य एवं 21/2009 उनवान यशवन्त कुमार बनाम महादेव व अन्य में संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 08.10.2020 के द्वारा नामा0 संख्या 284 दिनांक 29.01.96 को निरस्त किये जाने से इस प्रकरण में अपीलाधीन नामा0 संख्या 1486 दिनांक 20.11.2006 का अस्तित्व नही रहता है, अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामा संख्या 1486 दिनांक 20.11.2006 निरस्त किया जाता है एवं पटवारी हल्का घूघरा एवं भू अभिलेख निरीक्षक गगवाना को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत आराजियात का नियमानुसार नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में किया जाकर पालना रिपोर्ट मय राजस्व रिकॉर्ड की प्रति के अविलम्ब प्रस्तुत करावे।

आदेश आज दिनांक 8.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर